



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-31122020-224053
CG-DL-E-31122020-224053

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 4187]

नई दिल्ली, बुधवार, दिसम्बर 30, 2020/पौष 9, 1942

No. 4187]

NEW DELHI, WEDNESDAY, DECEMBER 30, 2020/PAUSHA 9, 1942

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 24 दिसम्बर, 2020

का.आ. 4771(अ).—भारत सरकार ने पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन (भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन) अधिनियम, 1962 (1962 का 50) (जिसे इसमें इसके पश्चात उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन जारी भारत सरकार के पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का.आ. 293 (अ) तारीख 20.01.2020 जो भारत के असाधारण राजपत्र तारीख 22.01.2020 में प्रकाशित की गई थी, द्वारा उस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में गेल (इण्डिया) लिमिटेड द्वारा ओडिशा राज्य में जगदीशपुर-हल्दिया एवं बोकारो-धामरा पाइपलाइन (जेएचबीडीपीएल) एवं स्पर पाइपलाइन के माध्यम से प्राकृतिक गैस के परिवहन के लिए पाइपलाइन बिछाने के प्रयोजन के लिए उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा की थी;

और उक्त राजपत्र अधिसूचना की प्रतियां जनता को उपलब्ध करा दी गई थी;

और सक्षम प्राधिकारी ने, उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) के अधीन भारत सरकार को अपनी रिपोर्ट दे दी है;

और भारत सरकार ने, उक्त रिपोर्ट पर विचार करने के पश्चात और यह संतुष्ट हो जाने पर कि उक्त भूमि पाइपलाइन बिछाने के लिए अपेक्षित है, उस में उपयोग के अधिकार का अर्जन करने का विनिश्चय किया है;

अतः अब, भारत सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये, यह घोषणा करती है कि इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में पाइपलाइन बिछाने के लिए उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाता है;

और, भारत सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये, निर्देश देती है कि पाइपलाइन बिछाने के लिए भूमि में उपयोग का अधिकार, इस घोषणा के प्रकाशन की तारीख से, भारत सरकार में निहित होने के बजाए, सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर, गेल (इण्डिया) लिमिटेड में निहित होगा।

जगदिशपुर - हलदिआ - बोकारो - धामरा पाइपलाइन और स्पर पाइपलाइन प्रोजेक्ट रांची -अनुगुल पाइपलाइन (सेकसन 3A)						
अनुसूची						
राज्य - ओडिशा						
जिला	तहसील	ग्राम	सर्वे नंबर.	क्षेत्रफल		
				हेक्टर	आर	वर्गमिटर
1	2	3	4	5		
झारसुगुडा	किरिमिरा	कुलुथमाल	1588	00	05	27
झारसुगुडा	कोलाबिरा	लुडुंग	3251	00	14	55
सम्बलपुर	कुचिन्डा	केलिपदर	34	00	14	18
सम्बलपुर	जमनकिरा	तबलाकटा	1320	00	10	76
			1321	00	14	41
			1322	00	14	18
			1326	00	24	73
			1327	00	08	40
			1328	00	07	02
			1330	00	00	20
			1331	00	15	44
			1348	00	29	26
			1353	00	02	10
			1356	00	01	05
			1357	00	17	40
			1358	00	00	20
			1359	00	15	48
			1360	00	03	07
			1361	00	09	85
			1362	00	10	78
			1363	00	21	84
			1364	00	09	48
			1367	00	11	61

			1414	00	10	08
			1527	00	10	07
			1332	00	04	05
			1525	00	04	86
			1526	00	08	03
			1528	00	32	79
सम्बलपुर	जमनकिरा	भोजपुर	1841	00	01	92
			1842	00	02	02
			1843	00	13	67
			1844	00	07	03
			1849	00	18	08
			1848	00	00	01
			1839	00	01	62
			1837	00	09	40
			1836	00	03	90
			1835	00	04	80
देवगड़	रिआमाल	अँलाकोलि	18/249	00	01	20

[फा. सं. एल – 14014/153/2018-जीपी-II]

राज किशोर, अवर सचिव

MINISTRY OF PETROLEUM AND NATURAL GAS

NOTIFICATION

New Delhi, the 24th December, 2020

S.O. 4771(E).—Whereas by notification of Government of India in the Ministry of Petroleum and Natural Gas S.O. No. 293 (E) dated 20.01.2020 issued under sub-section (1) of section 3 of the Petroleum and Minerals Pipeline (Acquisition of Right of User in Land) Act, 1962 (50 of 1962) (hereinafter referred to as the said Act), published in the Extra Ordinary Gazette of India dated 22.01.2020, the Government of India declared its intention to acquire the Right of User in the land specified in the Schedule appended to that notification for the purpose of laying pipeline for transportation of natural gas through Jagdishpur-Haldia & Bokaro-Dhamra Pipeline (JHBDPL) & Spur Pipeline in the State of Odisha by GAIL (India) Limited;

And whereas copies of the said Gazette notification were made available to the public;

And, whereas the Competent Authority has, under sub-section (1) of Section 6 of the said Act, submitted its report to Government of India;

And whereas Government of India after considering the said report and on being satisfied that the said land is required for laying the pipeline, has decided to acquire the Right of User therein;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 6 of the said Act, Government of India hereby declares that the Right of User in the land specified in the Schedule appended to this notification is hereby acquired for laying the pipeline;

And, further, in exercise of the powers conferred by sub-section (4) of Section 6 of the said Act, Government of India hereby directs that the Right of User in the land for laying the pipeline shall, instead of vesting in Government of India, vest, on this date of the publication of the declaration, in the GAIL (India) Limited, free from all encumbrances.

JAGDISHPUR - HALADIA - BOKARO - DHAMRA PIPELINE & SPUR PIPELINE PROJECT						
RANCHI- ANGUL PIPELINE (SECTION-3A)						
SCHEDULE						
STATE : ODISHA						
DISTRICT	TEHSIL	VILLAGE	SURVEY NO.	AREA		
				HECT.	ARE	SQ. MTR.
1	2	3	4	5		
JHARSUGUDA	KIRIMIRA	KULUTHUMAL	1588	00	05	27
JHARSUGUDA	KOLABIRA	LUDUNG	3251	00	14	55
SAMBALPUR	KUCHINDA	KELIPADAR	34	00	14	18
SAMBALPUR	JAMANKIRA	TABALAKATA	1320	00	10	76
			1321	00	14	41
			1322	00	14	18
			1326	00	24	73
			1327	00	08	40
			1328	00	07	02
			1330	00	00	20
			1331	00	15	44
			1348	00	29	26
			1353	00	02	10
			1356	00	01	05
			1357	00	17	40
			1358	00	00	20
			1359	00	15	48
			1360	00	03	07
			1361	00	09	85
			1362	00	10	78
			1363	00	21	84
			1364	00	09	48
			1367	00	11	61
			1414	00	10	08
			1527	00	10	07

			1332	00	04	05
			1525	00	04	86
			1526	00	08	03
			1528	00	32	79
SAMBALPUR	JAMANKIRA	BHOJPUR	1841	00	01	92
			1842	00	02	02
			1843	00	13	67
			1844	00	07	03
			1849	00	18	08
			1848	00	00	01
			1839	00	01	62
			1837	00	09	40
			1836	00	03	90
			1835	00	04	80
DEOGARH	REAMAL	ANLAKULI	18/249	00	01	20

[F. No. L-14014/153/2018-GP-II]

RAJ KISHORE, Under Secy.